2025/142

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री गोविन्दसिंह निवासी रीछडी, आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 18 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रीछडी पटवार हल्का आदर्श डूंगरी में नया खसरा संख्या 170/1, भूमि धारक राजस्थान सरकार बना है, वह किस विभागीय आदेश की पालना में बनाया गया है, उस आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उक्त नया खसरा संख्या 170/1 किसी राजस्व नियम के तहत बना है तो उस राजस्व नियम की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान में इस नए खसरा संख्या 170/1 पर किसी का अतिक्रमण है या जमीन पडत ही पडी है। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रीछडी पटवार हल्का आदर्श डूंगरी में नया खसरा संख्या 170/1, भूमि धारक राजस्थान सरकार बना है, वह किस विभागीय आदेश की पालना में बनाया गया है, उस आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उक्त नया खसरा संख्या 170/1 किसी राजस्व नियम के तहत बना है तो उस राजस्व नियम की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान में इस नए खसरा संख्या 170/1 पर किसी का अतिक्रमण है या जमीन पडत ही पडी है। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2025/63 दिनांक 14.03.2025 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन तहसीलदार पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सार–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner